राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बारां

क्रमांक :- एफ / लेखा-स्टोर / कम्प्यूटर क्रय / 2022-23 / 1904

दिनांक 16.01..2023

-: खुली निविदा सूचना ::-

सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बारां के उपयोग हेतु प्रिन्टर/कम्प्यूटर/स्केनर सेट क्रय करने हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार के अधिकृत विभाग से पंजीकृत/रिजस्टर्ड फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सीज से सील बन्द लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क0	विवरण	अनुमानित राशि	बोली प्रतिभूति	निविदा प्रपत्र
स		all reacts	राशि (2%)	शुल्क
		20.00		(अवापसीय)
1.	कार्यालय सहायक निदेशक राज्य बीमा	245000 ∕ —रू	4900 ∕ —रू	500 / - रु0
	एवं प्रावधायी निधि विभाग, बारां में			***
	निम्न सामग्री स्पेशिफिकेशन के			
	अनुसार क्रय करने बाबत्ः		,	
	(1) डेस्कटॉप कम्प्यूटर(is): 02 Nos			
	(2) स्केनर (डॉक्युमेन्ट) 01 Nos.			
KG	(3) प्रिन्टर इंकटेक : 01 Nos.			
B				

- सम्बन्धित फर्म / कम्पनी / संस्था / एजेन्सीज को निर्धारित निविदा प्रपत्र दिनांक 24.01.2023 सायं 3.00 बजे तक कार्यालय में भरकर प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रांठ निधि विभाग, बारां के कार्यालय में दिंनाक 24.01.2023 सायं 2:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।
- 2 निविदा से सम्बन्धित नियम, शर्तें निविदा प्रपत्र किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बारां के कैशियर के यहाँ राशि 500 / रु० जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है या विभागीय वेब साइट www.sipf.rajasthan.gov.in अथवा राज्य लोक उपापन पोर्टल (http://sppp.raj.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क निविदादाता द्वारा पृथक से बैंक ड्राफ्ट सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा० निधि विभाग, बारां के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- 3 प्राप्त तकनीकी निविदाओं तथा वित्तीय निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 24. 01.2023 को सायं 4 : 00 बजे उपापन समिति द्वारा खोला जाएगा। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

4 निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, बारां को होगा।

> (जूही 'अंग्रवाल) सहायक निदेशक राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, बारां (राज).

निविदा प्रपत्र

सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बारां के कार्यालय में प्रिन्टर/कम्प्यूटर/स्केनर सेट क्रय करने हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र का मूल्य 500 / - (रूपये पाँच सौ मात्र)

बिड / प्रतिभूति / अमानत राशि (2%) 4900/-रू को बैंकर्स चैक / बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा जो सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, बारां के नाम से होना चाहिए। नोट:—

- (1) इस निविदा प्रपत्र के साथ 'ए' से 'जी' परिशिष्ट संलग्न है।
 - 1 तकनीकी निविदा प्रपत्र परिशिष्ट 'ई'
 - 2 वित्तीय निविदा प्रपत्र परिशिष्ट 'एफ'
 - 3 निविदा की शर्ते परिशिष्ट 'जी'
 - 4 अन्य परिशिष्ट ए से डी ।
- (2) निविदाएँ दो पृथक—पृथक लिफाफों में अलग—अलग तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करनी है।
 - 1 बिड की अमानत राशि (2%) 4900/-रू को बैंकर्स चैक / बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा जो सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, बारां के नाम से होना चाहिए।
 - 2 बिड निविदा शुल्क 500 / (अवापसीय) का बैंकर्स चैक / डी.डी. / रसीद संलग्न करनी होगी।
 - 3 फर्म का पैन कार्ड नम्बर के दस्तावेज।
 - जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र (नियमानुसार)।
 - 5 किसी राजकीय संस्था / विभाग से ब्लेक लिस्टेंड नहीं होंने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेट किया जायेगा।
- (3) जिन फर्मों / ठेकेदारों की तकनीकी निविदायें उपयुक्त पाई जायेगी उन्हीं फर्मों के वित्तीय प्रस्तावों की निविदाएं खोली जायेगी, अन्य फर्मों को अयोग्य माना जायेगा। वित्तीय निविदा प्रपत्र अलग लिफाफे में रखा जायेगा। इस लिफाफे पर वित्तीय निविदा अंकित करते हुए लिफाफे को सीलबंद किया जायेगा।
- (4) "तकनीकी निविदा" और "वित्तीय निविदा" के अलग—अलग सीलबंद दोनों लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे में रखकर उक्त बड़े लिफाफे को भी सीलबंद करना होगा तथा उक्त बड़े लिफाफे पर "निविदा प्रिन्टर/कम्प्यूटर/स्केनर सेट" अंकित कर निर्धारित तिथि व समय तक जमा करना होगा। निर्धारित दिनांक व समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं होगा। डाक से प्राप्त निविदाऐं यदि निर्धारित दिनांक व समय पर नहीं पहुँचती है, तो कार्यालय सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, बारां उत्तरदायी नही होगा।

Juli 23

- (5) दिनांक 24.01.2023 को सांय 03:00 बजे तक प्राप्त तकनीकी निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष उसी दिन सांयः 04.00 बजे इस हेतु गठित उपापन समिति द्वारा खोला जाकर परीक्षण किया जावेगा। सक्षम पाये जाने पर उनकी वित्तीय निविदाएं उपापन समिति के समक्ष खोली जावेगी। प्रिन्टर/कम्प्यूटर/स्केनर सेट क्रय की निविदा के फार्म, निविदा शर्तो सहित निविदा प्रकाशन तिथि से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में कैशियर सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, बारां के कमरे में 500/— रूपये नकद भुगतान कर दिनांक 24.01.2023 सायं 2:00 बजे तक क्रय किये जा सकते है।
- (6) तकनीकी परीक्षण के दौरान प्रिन्टर/कम्प्यूटर/स्केनर सेट का डेमो प्रस्तुतीकरण करने के लिए भी निविदादाताओं को बुलाया जा सकता है और बुलाये जाने की स्थिति में उन्हें निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित होकर ऐसा प्रस्तुतीकरण करना होगा, जिसके लिये किसी प्रकार के प्रस्तुतीकरण उपकरण आदि व्यवस्था कार्यालय सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, बारां द्वारा नहीं कराई जावेगी, न ही किसी प्रकार के खर्चे का पुनर्भरण किया जायेगा। समस्त प्रस्तुतीकरण निविदादाता स्वयं के खर्चे पर करेगा।

सहायक निदेशक राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, बारां (राज.)

एस आर 11

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं / हम घोषणा करता हूँ / करते है कि मैने / हमने जिन राजकीय विभाग / अर्द्धशासकीय विभाग / संस्था में प्रिन्टर / कम्प्यूटर / स्केनर सेट क्रय की निविदा दी है।

यदि निविदा में दी गई जानकारी असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत का लिया जाएगा तथा निविदा का, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाऐ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम पूर्ण पता

टेलीफोन न0 (निवास) (कार्यालय)

Puli- 23

परिशिष्ट—ई

राजस्थान सरकार कार्यालय सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, बारां

निविदा प्रपन्न (तकनीकी) सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, बारां के उपयोग हेतु प्रिन्टर/कम्प्यूटर/स्केनर सेट क्रय हेतु निविदा प्रपन्न
एतु । भाषपा अग्र
1 निविदादाता का नाम व पूर्ण पता :
2 बिड (निविदा) सूचना क्रमांक :
3. बिड (निविदा)शुल्क रूपयें 500/— : जमा कराने का विवरण
4. बिड (निविदा) प्रस्तुत करने की :अंतिम तिथि एवं समय
5. बिड प्रतिभूति (अमानत) राशि का विवरण :
6. जीएसटी पंजीयन कमांक :(नियमानुसार)
7. फर्म का पैन कार्ड नम्बर :
मुझे इस बिड (निविदा) की संलग्न समस्त शर्ते मंजर है।

निविदादाता के हस्ताक्षर नाम व पूरा

Puli-23

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, बारां के उपयोग हेतु प्रिन्टर/कम्प्यूटर/स्केनर सेट क्रय की दरें देने का (वित्तीय निविदा प्रपन्न)

प्रिन्टर / कम्प्यूटर / स्केनर सेट क्रय की दरें भरकर निविदादाता हस्ताक्षर करें तथा इस प्रपत्र को अलग लिफाफे में डालकर सील बन्द करें एवं लिफाफे पर मोटे अक्षरों में "वित्तीय निविदा" अंकित करें । कार्य की दरें अंकों एवं शब्दों में अंकित करें।

A. Desktop Computer-i5

		0 0 00 00 000	
		i	राशि रू. प्रति नग
Parameters	Minimum Technical Specification	मात्रा	कम्प्यूटर सेट (समस्त कर
			सहित) शब्दों व अंको में
Processor	Intel i5 (12th Generation or higher) 6 core, with	N2	
	minimum 2.50 GHZ or higher (Base		
01.	Frequency), 18 MB Cache or higher		
Chipset	Compatible chipset		
Motherboard	OEM Motherboard		
Operating System	Pre installed Genuine OEM Microsoft	2	
	Windows 11 or higher Professional/home (64	10 -10 1	
	bit) with OEM Recovery Partition/ Recovery		
200	DVD		
Graphics	Integrated Graphics		
Memory (RAM)	8 GB DDR4 with minimum 2DIMM		
	Slots,Expandable upto 32 GB		
Storage	512 GB SSD		
Optical Drive	DVD R/W		
Ports	Minimum 6 USB Ports with atleast 2 USB 3.0		,
	OR higher ports, HDMI, audio jack for		
	headphone & microphone		
Display	Minimum 21.5" inch or higher, (Resolution		
	1920x1080) or higher Display, TCO Certified		
Antivirus	Preloaded (Latest Version) Internet Security of		
	Trend Micro/Quick Heal/ Symantec/ Sophos/		
	Kaspersky with 3 year Subscription		
Certification	ROHS Compliance, OEM Certification for		
	Preloaded OperATING System		
Keyboard & Mouse	OEM USB Keyboard & OEM USB two button		
	optical Mouse With Mouse Pad		
Network Interface	Integrated 10/100/1000 GB Ethernet		
Accessories	All necessary cables (Power & data cables)-3		
<u> </u>	Mtr CAT 6 Patch Cord) to be included		
Warranty	3 year on site OEM warranty from date of		
1890) 	installation		



B.Scanner-

Parameters	Minimum Technical Specification	मात्रा	राशि रू. प्रति नग स्केनर (समस्त कर सहित) शब्दों व अंको में
Pick up device	1/2.7" CMOS Sensor		
Effective Pixels	1920×1080, 2 Megapixel		
Output	SVGA to WXGA, HDMI and Higher		
White balance	Auto		
Exposure	Adjustable	01	
Brightness	Adjustable		
Maximum Capture Area	11.7"× 20.7" at 1080 P		
Zoom	16× digital Zoom		
Camera Head Rotation	90 degree (vertical and horizontal)		
Interface	HDMI, Computer in (VGA), Display Out (VGA) USB-B (for connection to PC/MAC) SD Card Slot 1		
OS Compatible	Window ® 7, Window 8, Window 10, Window Vista ® Mac OS×® 10.7.×, 10.8.×, 10.9.×,10.10.×, 10.11.×, Driver TWAIN (for Windows) Dimensions (W×D×		
	Still Image:JPG, BMP, PNG Video (Windows) : AVI Video (Mac) : MOV Other : PDF , EIT		
runctions	Rotation, Zoom (+, -, Selectable, ×1), Auto Focus, Freeze, Record, Time-lapse, Picture Control (Brightness, Contrast, White Balance, Auto White Balance)		
vvarraniv i	3 years on-site OEM warranty (Same has to be mentionedin OEM MAF)		
BIS	YES		
Service (entres	OEM should have minimum20 Service Centre Across Rajasthan		

16-01-23

C. Ink Tank Printer (Black) -

Item	Minimum Technical Specification	मात्रा	राशि रू. प्रति नग प्रिंटर (समस्त कर सहित) शब्दों व अंको में
Туре	Ink Tank Monochrome		
Print Speed	25 ppm		
Functions	Print		
Duty Cycle (Monthly)	10000 pages		*
Print Resolution	600×600 dpi		[6] [6]
Duplex Printing	Auto	01	
Ports	USB, Ethernet, WiFi		
Pre-installed ink bottle with yield	1 black ink bottle with minium 5000 pages yield		
Tray	Input Tray: Min 100 sheets Output Tray: Min 100 sheets		
Certification	BIS, ISO for OEM		
Processor	500 MHz or higher		
Memory	256 MB or higher		
Operating System	Windows & Linux		
Warranty	3 year on site OEM warranty		5.0

- 1- उक्त दरों मे जीएसटी नियमानुसार सम्मिलित की जाये ।
 2- बिड में दी गई प्रिन्टर/कम्प्यूटर/स्केनर सेट की संख्या में कमी/बढ़ोतरी की जा सकती है।
 3- प्रिन्टर/कम्प्यूटर/स्केनर सेट का मेक अंकित करना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर नाम व पूरा पता

परिशिष्ट 'जी'

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, बारां

प्रिन्टर / कम्प्यूटर / स्केनर सेट क्रय हेतु बिड (निविदा) की शर्ते

निविदादाता को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदायें भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

- (अ) पात्रता(Eligibility Criteria) जो अनिवार्य है, के अभाव में बिड (निविदा) निरस्त मानी जावेगी।
- 1 बिड/प्रतिभूति/अमानत राशि (2%) 4900/-रू को बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा जो सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, बारां के नाम से होना चाहिए।
- 2. निविदायें दो अलग—अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। प्रथम लिफाफा "प्रि—क्वालीफिकेशन बिड /तकनीकी बिड" का होगा तथा दूसरा "वित्तीय बिड" के लिये होगा। सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, बारां कार्यालय के उपयोग हेतु प्रिन्टर / कम्प्यूटर सेट क्रय के लिये पृथक—पृथक बन्द लिफाफों में प्रिन्टर / कम्प्यूटर सेट क्रय की तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 3. प्रथम लिफाफे (प्री क्वालीफिकेशन बिड/तकनीकी बिड) में निम्न प्रपत्र रखें जावेंगे:--
 - (क) बिड प्रतिभूति / अमानत राशि (2%) 4900/-रू को बैंकर्स चैक / बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा जो सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, बारां के नाम से होना चाहिए।
 - (ख) बिड निविदा शुल्क 500 / का बैंकर्स चैक / डी.डी. / रसीद संलग्न करनी होगी।
 - (ग) फर्म का पैन कार्ड नम्बर के दस्तावेज।
 - (घ) जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र (नियमानुसार)।
 - (ड) किसी राजकीय संस्था / विभाग से ब्लेक लिस्टेड नहीं होंने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेट किया जायेगा।
- 4. दूसरे लिफाफे में केवल वित्त बिड सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, बारां कार्यालय हेतु प्रिन्टर / कम्प्यूटर / स्केनर सेट क्रय की वित्तीय बिड़ होगी जिसमें निविदादाता को अपनी दरें अंकों एवं शब्दों में अंकित करनी होगी।
- 5. दोनों लिफाफे, तकनीकी बिंड का सीलबंद लिफाफा तथा वित्तीय बिंड का सीलबंद लिफाफा सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, बारां के नाम होना चाहिए, साथ ही फर्म का नाम दूरभाष/मोबाइल नम्बर भी अंकित होना आवश्यक है।

Sulvi-23


(ब) सामान्य शर्ते :--

- 1. स्वीकृत दरों के अलावा अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
- 2. फर्म को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राज.लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 की सभी शर्तों एवं नियमों की पालना करनी होगी । फर्म द्वारा उक्त प्रिन्टर/कम्प्यूटर / स्केनर सेट समय पर आपूर्ती नहीं करने पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि काटी जायेगी।
- 3. समस्त दरें स्याही से भरी होनी चाहिये। पेंसिल या अन्य वस्तुओं से भरी गयी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा बन्द एवं शील्ड लिफाफे में ही भेजी जानी चाहिये।
- 4. निविदा में दी गयी दर किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी। दरों का इन्द्राज अंकों के साथ—साथ शब्दों में भी किया जाना आवश्यक है।
- 5. विभाग किसी भी निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह निम्न दर वाली निविदा को ही स्वीकार करें। वह किसी भी निविदा को उसके कारणों को बताये बिना रद्द कर सकती है।
- 6. निविदादाता को संलग्न सभी प्रमाण-पत्र स्वप्रमाणित कर प्रस्तुत करने होगे।
- 7. सर्वप्रथम तकनीकी बिड़ का लिफाफा खोला जावेगा, जिसकी उपापन सिमित द्वारा जॉच उपरान्त जो निविदादाता तकनीकी बिड़ में योग्य पाये जावेगे, उनकी ही वित्तीय बिड़ खोली जावेगी।
- 8. सफल निविदादाता को कार्यादेश के जारी करने के दो दिवस में संविदा के 2.5 प्रतिशत की कार्य संपादन प्रतिभूति राशि कार्यालय में जमा करवानी होगी जिसमें बोली प्रतिभूति राशि का समायोजन कराया जा सकेगा तथा नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी दरें निरस्त कर दी जावेगी।
- 9. अनुबंधित फर्म प्रिन्टर/कम्प्यूटर/स्केनर सेट क्रय का ठेका अन्य किसी दूसरी फर्म को सबलेट नहीं करेगा अगर अनुबंधित फर्म द्वारा सबलेट किया गया तो ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 10. प्रिन्टर / कम्प्यूटर / स्केनर सेट का इंस्टॉलेशन सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, बारां तथा प्रभारी अधिकारी की देखरेख में निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
- 11. उक्त कार्यों हेतु निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में दरें दिनांक 24.01.2023 सायं 3.00 बजे तक बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
- 12. सफल निविदादाता द्वारा प्रिन्टर / कम्प्यूटर / स्केनर सेट की आपूर्ती / अनुबंध करने के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा।
- 13. प्रिन्टर / कम्प्यूटर / स्केनर सेट क्रय अवधि में चालू रहने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
- 14. फर्म द्वारा प्रिन्टर / कम्प्यूटर / स्केनर सेट की दी गई दरों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि सम्मिलित करते हुए दरें प्रस्तुत करनी होगी। कर जमा नहीं कराने की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी संवदेक की होगी।
- 15. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये इंजीनियरों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
- 16. कार्य सम्पादन अविध के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षितिपूर्ति या मुआवजा देने/ई०एस०आई० करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।



- 17. यदि अनुबंधित फर्म के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर इंजीनियर न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है तो उस पर आने वाले समस्त दायित्वों को अनुबंधित फर्म को ही वहन करना होगा। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 18. प्रिन्टर / कम्प्यूटर / स्केनर सेट इस्टॉलमेंट के समय लगाये जाने वाले इंजीनियरों के आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिये पूर्णरूप से अनुबंधित फर्म जिम्मेदार होगी।
- 19. किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, बारां द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जिसे अनुबंधित फर्म को मानना होगा।
- 20. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र बारां होगा।
- 21. प्रिन्टर / कम्प्यूटर / स्केनर सेट का वारंटी अवधि में प्राप्त शिकायत का इन्द्राज कर फर्म से कार्य करायेंगे तथा इसकी मोनेटरिंग सिस्टम अनुभाग द्वारा की जायेगी।
- 22. विभाग से प्रिन्टर / कम्प्यूटर / स्केनर सेट वारंटी अवधि में ठीक करने हेतु बाहर ले जाने पर स्टोर से गेटपास लेना होगा।
- 23. अनुबंधित फर्म द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या प्रशासन के निर्देशों की पालना नहीं की जाती है तो अनुबन्ध को भंग करना माना जावेगा तथा ऐसी स्थिति में संविदा समाप्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, बारां का होगा।
- 24. सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, बारां को बिना पूर्व सूचना के, बिना कोई कारण बताये संविदा / ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 25. प्रिन्टर / कम्प्यूटर / स्केनर वारंटी अवधि में तत्काल ठीक करना होगा।
- 26. अनुबंधित फर्म द्वारा समस्त प्रिन्टर/कम्प्यूटर/स्केनर सेट आदेश दिनांक से 15 दिवस में आपूर्ति करना होगा। समयावधि समाप्त होने के पश्चात फर्म द्वारा आपूर्ती करने पर भुगतान में विलम्ब होने एवं भुगतान नहीं होने के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
- 27. परिसमापित नुकसानी:— परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अविध में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है: (इस संबंध में यदि कोई हो तो निविदा प्रपन्न में अंकित की गई शर्तें ही लागू होगी) (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार)

(1)	(ক)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2 ^{1/2} %
	(অ)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए	5%
	(ग)	आधी अवधि से अवधि किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए	7 ^{1/2} %
	(ঘ)	विहित अवधी की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10%



28. संतोषप्रद सामान आपूर्ति पश्चात फर्म द्वारा तीन प्रतियों में भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया जावे। 29. सामान की आपूर्ति / स्पेशिफिकेशन की जाँच प्रमाणित उपापन समिति / तकनीकी सदस्यों द्वारा की जावेगी।

> सहायक निदेशक राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, बारां (राज.)

मैनें / हमने उपरोक्त सभी शर्तो का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा मैं / हम सभी शर्तो को मानने के लिये अपनी सहमति प्रदान करता हूँ / करते है।

> निविदादाता के हस्ताक्षर नाम..... पूरा पता..... मोबाईल / टेलिफोन नं....

Juha 23

Form of Bid-Securing Declaration
Date: Bid No: Altenative No.:
To:

We, the undersigned, declare that:
We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid_Securing Declaration.
We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely:-
(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/ work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or services or execute work as per supply/
 work order within the time specified; (d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/ work
order is placed; and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.
In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.
We understand this Bid Securing Declaration shall expire if:-
i. we are not the successful Bidder;
 ii. the execution of agreement for procurement and performance security is finished by us in case we are successful bidder;
iii. thirty days after the expiration of our Bid.
iv. the cancellation of the procurement process; or
v. the withdrawal of the bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.
Signed:
Name:

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

In the capacity of:

day of

Dated on

Corporate Seal_

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of:

Ruhi-23

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be a Conflict of Interest with one of more parties in a bidding process if, including but not limited to:
- a. have controlling partners/shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process.

 Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Puhi 23

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder			
in relation to my/our Bid submitted to for			
procurement of			
	I/we possess the necessary professional, te managerial resources and competence requ Document issued by the Procuring Entity;	chnical, financial and aired by the Bidding	
	I/we have fulfilled my/our obligation to pa payable to the Union and the State Govern authority as specified in the Bidding Document	ment or any local	
	I/we are not insolvent, in receivership, ban not have my/our affairs administered by a not have my/our business activities suspen of legal proceedings for any of the foregoin	court or a judicial officer, ded and not the subject	
1	I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/out qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;		
5.]	I/we do not have a conflict of interest as sp and the Bidding Document, which material	ecified in the Act, Rules lly affects fair competition;	
Date	e: Sig	gnature of bidder	
Place	ee: N	ame:	
	De	esignation:	
	Ac	ldress :	

16-01-23

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is -----The designation and address of the Second Appellate Authority is ------

1. Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved

:Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder

whose Technical Bid is found to be acceptable.

- 2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- 3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4. Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

5. Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

Juhi 23

6. Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. Procedure for disposal of Appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
- (i) hear all the parties to appeal present before him; and
- (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

July 23

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply for by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award

(In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is

16-01-23

considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

July 23

FORM No. 1 [See rule 83]

Transparency in Public Procurement Act, 2012
Appeal No
1. Particulars of appellant:
(i) Name of the appellant:(ii) Official address, if any:(iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
(i) (ii) (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
(Supported by an affidavit)
7. Prayer:
Place
Date
Appellant's Signature

Ruhi-03 16-01-23